मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव के संग अभियान/कैम्प कोर्ट)

पीठसीन अधिकारी :– श्रीमती शकुंतला चौधरी आर०ए०एस०

उनवान

1. आत्माराम } पि० भूराराम
2. प्रताप }
जाति नाई निवासी महराणा

बनाम

1. भूराराम s/o बस्ती
2. दीपचन्द
3. जगदीश
4. ओमप्रकाश
5. बिमला
} पुत्र-पुत्रियान भूराराम जाति नाई नि० महराणा
6. स्टेट तहसीलदार राजस्व भादरा

दावा बाबत :– 88-188 RT Act

मुकदमा नम्बर :– 64/2021

निर्णय दिनांक :– 24/11/2021

वादी की ओर से वकील महेन्द्र जाँगिड़ की व प्रतिवादी सं० 1ता5 की ओर से वकील सुरेन्द्र बैनीवाल की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख........ को मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि चक 6 MRN के मु० नं० 28 के किला नं० 4ता7, 13ता15, 16/1, मु०नं० 34 के किला नं० 4ता7 इस प्रकार कुल किता 12 की कुल 2.8590 हैक्टेयर नहरी बारानी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 भूरा के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। उक्त वाद भूमि में से प्रतिवादी भूरा का नाम कलमजन किया जाकर वादी सं० 1 आत्माराम, वादी सं० 2 प्रताप व प्रतिवादी सं० 2 दीपचन्द, प्रतिवादी सं० 3 जगदीश, प्रतिवादी सं० 4 ओमप्रकाश को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। चूंकि प्रतिवादी सं० 1 व 5 ने अपना सम्पूर्ण हक व हिस्सा वादीगण एवं प्रतिवादी सं० 2 ता 4 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा की जावे। यदि वाद भूमि बैंक के रहन दर्ज है तो रहन मुक्त होने पर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त किया जावे।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24/11/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़